

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन-462003

भोपाल, दिनांक - 17/7/08

// आदेश //


क्रमांक एफ44/ 60/20-2/2008 :: मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला/विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्टता विद्यालय के लिये जारी मार्गदर्शिका में निम्नलिखित अनुसार संशोधन किये जाते हैं

1. जिला स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय

- (i) शीर्ष "शिक्षकों-व्याख्याताओं का चयन" के स्थान पर शिक्षकों/व्याख्याताओं/अध्यापक संवर्ग का चयन किया जाता है।
- (ii) "शिक्षकों-व्याख्याताओं के चयन हेतु" अंश के स्थान पर शिक्षकों/व्याख्याताओं/अध्यापकसंवर्ग (वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक) के चयन हेतु किया जाता है।
- (iii) इसी प्रकार शीर्ष "शिक्षक/व्याख्याताओं के लिये आवश्यक योग्यताएं" के स्थान पर शिक्षक/व्याख्याताओं/अध्यापक संवर्ग के लिये आवश्यक योग्यताएं किया जाता है। "उत्कृष्टता विद्यालय के लिये आवेदन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के वर्तमान में कार्यरत शिक्षक/व्याख्याताओं के लिये निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक होगी" के स्थान पर उत्कृष्टता विद्यालय के लिये आवेदन करने हेतु स्कूल शिक्षा विभाग के वर्तमान में कार्यरत शिक्षक/व्याख्याताओं/अध्यापक संवर्ग के लिये निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक होगी किया जाता है।

2. विकासखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट विद्यालय

- (i) शीर्ष "शिक्षकों-व्याख्याताओं का चयन" के स्थान पर शिक्षकों/व्याख्याताओं/अध्यापक संवर्ग का चयन किया जाता है।
- (ii) "शिक्षकों-व्याख्याताओं का चयन" अंश के स्थान पर शिक्षकों/व्याख्याताओं/अध्यापकसंवर्ग (वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक) का चयन किया जाता है।
- (iii) इसी प्रकार "विकासखण्ड उत्कृष्ट विद्यालय के लिये वर्तमान में कार्यरत शिक्षक/व्याख्याताओं के लिये निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक होंगी-" के स्थान पर विकासखण्ड उत्कृष्ट विद्यालय के लिये वर्तमान में कार्यरत शिक्षक/व्याख्याताओं/अध्यापकसंवर्ग के लिये निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक होंगी- किया जाता है।

  
(आर.पी. त्रिपाठी)  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

पृष्ठा.क्र. 17-44-60/08/20-2  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक - 17/7/

1. निज सहायक, मान. मंत्री जी, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
3. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग।
4. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र.।
5. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र.।
7. आयुक्त, आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
9. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला/जनपद पंचायत, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
12. समस्त प्राचार्य, जिला/विकासखण्ड स्तरीय उत्कृष्ट विद्यालय, मध्यप्रदेश।

21/7/28  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग